राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक प0(9) चिस्वा/2024 जयपुर, दिंनांक 27.11.2024

M/s Draeger India Private Limited, 10th Floor, Commerz II, International Business Park, Oberoi Garden City, Off Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai-400063

कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.
राजस्थान सरकार, जयपुर
दिनांक 10-12-24
प्रेषित ED(P)
डायरि क्रमांक 27/8
हस्ताक्षर

...........अपीलान्ट

बनाम

Managing Director, Rajasthan Medical Services Corporation, Jaipur

...........रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील संख्या – 9/2024
अपील अन्तर्गत धारा 38(1), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012

SM(P)
10/12/24

निर्णय दिनांक 27.11.2024

अपीलार्थी फर्म M/s Draeger India Private Limited, 10th floor, Commerz II, International Business Park, Oberoi Garden City, Off Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai-400063 द्वारा दिनांक 06.11.2024 को उपरोक्त वर्णित अपील प्रस्तुत की है। इस संबंध में रेस्पोंडेंट को दिनांक 08.11.2024 को नोटिस जारी कर अपील के संबंध में जवाब प्राप्त किया गया।

प्रकरण में दिनांक 27.11.2024 को सुनवाई आयोजित को गई। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी की ओर से Mr. Amol Shelke तथा रेस्पोंडेंट निगम की तरफ से श्री हरीश लालवानी, कार्यकारी निदेशक (उपापन) तथा श्री धर्मेन्द्र शर्मा, फार्मासिस्ट उपस्थित हुए।

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अपना पक्ष रखते हुए अवगत करवाया कि Item - NIV Mask जिसके लिए अपीलार्थी फर्म ने बोली प्रस्तुत की है, कम जोखिम श्रेणी, Class A, non-measuring non-sterile (NM-NS) के अंतर्गत आता है। इस श्रेणी के तहत Products को Medical Device Rule, 2017 के तहत Import License

आवश्यकताओं से छूट दी गई है। निविदा में शामिल NIV Mask को Import License MD-15 आवश्यकताओं से छूट दी गई है। अपीलार्थी फर्म द्वारा स्वयं के मुख्य उत्पादों के साथ–साथ Item - NIV Mask के लिए Import License प्राप्त किया है, जो नियामक अनुपालन के प्रति हमारी अतिरिक्त सावधानी और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

रेस्पोन्डेन्ट निगम की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों ने अवगत करवाया कि निविदा की शर्त संख्या 2(c) Eligibility Criteria एवं 5(f) II Technical Bid License for अनुसार Import license आवश्यक दस्तावेज होने के कारण मूल बिड के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। Annexure-VII जो कि 500 रूपये के Non Judicial Stamp पर प्रस्तुत की जाने वाली Undertaking है, जिसके बिन्दु संख्या 6 में फर्म द्वारा Import License एवं Sale License से संबंधित सूचनाऐं आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फर्म द्वारा उक्त Undertaking 500 रूपये के Non Judicial stamp पर प्रस्तुत नहीं की है तथा Import License एवं Sale License से संबंधित सूचनाऐं भी प्रस्तुत नहीं की है। फर्म द्वारा Form MD 15 पर Import License Number IMP/MD/2024/000460 प्रस्तुत किया है। जिस पर Licensing Authority द्वारा हस्ताक्षर अंकित नहीं है। जिसके अन्तर्गत फर्म को Ventilator Family Import करने की Permission प्राप्त है। उक्त Permission के अन्तर्गत Accessories/components के रूप में NIV Mask अंकित है। उक्त Import License को आधार मानकर फर्म द्वारा Mask की सप्लाई किए जाने के लिए कहा है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना अनिवार्य है कि CDSCO में प्रत्येक आईटम का Registration करवाते समय फीस फॉर्म नम्बर 40 पर CDSCO में प्रस्तुत करना आवश्यक है। चूंकि उक्त Import लाइसेंस Ventilator Family के लिए है, जिसमें Multiple Accessories/Components शामिल है। उक्त Import लाइसेंस के आधार पर केवल NIV Mask का Import किया जा सकता है अथवा नहीं, इस संबंध में राय हेतु CDSCO नई दिल्ली को दिनांक 18.11.2024 को पत्र लिखा जा चुका है। चुंकि आईटम के लिए कोई भी बिड तकनीकी रूप से योग्य नहीं होने के कारण बिड को निरस्त किया जाकर स्पेसिफिकेशन रिव्यू हेतु विषय–विशेषज्ञों को भिजवाये गये है। अतः CDSCO नई दिल्ली का जवाब भी वर्तमान निविदा पर लागू नहीं होगा। इसे आगामी निविदाओं में सम्मिलित किया जा सकता है।

उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। दोनों पक्षों को सुनने पत्रावली, निविदा शर्तों, आर.टी.पी.पी एक्ट एवं नियमों तथा अन्य संदर्भों का अध्ययन करने पर पाया गया कि आईटम के वर्तमान निवदा से कोई फर्म तकनीकी रुप से योग्य नहीं होने के कारण निविदा निरस्त की जा चुकी है। अतः इस स्थिति में वर्तमान अपील सारहीन होने के कारण निस्तारित की जाती है।

इस आदेश के साथ इस अपील को खारिज कर अपील का निस्तारण किया जाता है।

(डॉ. भारती दीक्षित)
अपीलीय अधिकारी एवं
संयुक्त शासन सचिव

आदेश

अपीलार्थी की अपील उपरोक्तानुसार अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति पक्षकारान को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाकर विभाग के पोर्टल पर भी प्रदर्शित किया जावे। पत्रावली निर्णय से सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संधारित की जाती हैं।

अपीलीय अधिकारी एवं
संयुक्त शासन सचिव